राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2017/00350
अपील संख्या 92/2017 (225 आर.टी.एक्ट)
उनवान

1– मेवाराम पुत्र किशन जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2– गंगा सिंह पुत्र किशन जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3– नैम सिंह पुत्र किशन जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4– सावित्री पत्नि बहादुर जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

————————अपीलांट

बनाम

1– दीवान सिंह पुत्र चेंटा जाति जाट निवासी गुदावली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

——————रेस्पो0 असल

2– राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
3– सब रजिस्टार नदबई जिला भरतपुर।

————————तरतीवी रेस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.5.2017 न्यायालय सहायक कलेक्टर नदबई मु0 न0 173/2016 उनवानी दीवान बनाम मेवाराम

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्री सुगड़ सिंह एड़0

वकील रेस्पो. श्री प्रमोद कुमार उपमन एड0

निर्णय दिनांक 08.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 251/0.10, 1054/0.01, 1055/2.07, 1056/0.24, 1115/0.01, 1116/0.94, किता 6 रकवा 3.37 ह0 वाके ग्राम गुदावली तहसील नदबई में स्थित है।

जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि अधोनस्थ न्यायालय का आदेश बिना अपीलार्थी के सुने पारित किया गया है। अपीलार्थी विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता अतः अपील स्वीकार कि जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। अपीलार्थी नें अपने बहस के समथन में वकील अपीलार्थी ने न्यायिक दृष्टॉत 2016(1) डी.एन.जे पेज न0 432 प्रस्तुत किया।

बचाव मे वकील प्रत्यर्थी नें निवेदन किया कि विवादित आराजी सहखातेदारी की भूमि है एवं उसका वाद विभाजन का था। यदि दौराने वाद अपीलार्थी अपने हिस्से को रहन बय कर देता है तो अपूरणीय क्षति प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रकट है। अतः अपील खारिज की जावे अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017(1) आर.आर.टी पेज 491 पेश किया।

बहस के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी का वाद विभाजन का था। विभाजन के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य प्रकट नहीं होने से खारिज की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 8.1.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर